

प्रश्न सं. [क. 928]

विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 928 — श्री नरेन्द्र सिंह कुशावाह प्रश्नांश (ख) से संबंधित जानकारी

स. क्र.	शिकायतकर्ता का नाम एवं पता	शिकायत प्राप्ति की तिथि	शिकायत का संक्षिप्त विवरण	शिकायत पर की गई कार्यवाही
1	धर्मेन्द्र पुत्र कमल सिंह जिला भिण्ड	26.06.2023	मौजा अमायत की दरस्तावेज क्रमांक एम.पी.042902023ए11848764 दि.17.05.2023 में स्टाम्प चोरी कर शासन के राजस्व को हानि पहुंचाने के संबंध में ।	उप महानिरीक्षक पंजीयन मालियर से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर दिनांक 14.05.2025 को शिकायत नरसीबद्ध की गयी ।
2	श्री अमित कुमार पुत्र सुमेर सिंह जिला भिण्ड	15.04.2025	तहसील लहार के दस्तावेज क्र. एम.पी.042902025ए1163934 क्र. एम.पी.042902025ए1167341 क्र. एम.पी.042902025ए1218786 क्र. एम.पी.042902025ए1225193 फर्जी तरीके से कर राजस्व की हानि पहुंचाकर भिण्ड सब-रजिस्ट्रार द्वारा किये जाने के संबंध में ।	जिला पंजीयक भिण्ड को दिनांक 06.05.2025 को लिखा गया । कार्यवाही प्रचलित है ।
3	राम बहादुर यादव जिला भिण्ड	21.06.2021	भ्रष्ट आचरण अधिनियम के अन्तर्गत जिला मुख्यालय भिण्ड में पदस्थ सब रजिस्ट्रार द्वारा जिला पंजीयक के निर्देश से दि. 31.12.2020 को दस्तावेज क्र. एम.पी.042902020ए1917833 पर निर्मित टुकाने एवं होटल बना है । जिसमें राष्ट्रीय मार्ग छिपाकर कृषि भूमि में वयनामा संपादित कर दिया गया है। जिससे राजस्व की हानि हुई है ।	जिला पंजीयक भिण्ड को दिनांक 05.07.2021 को लिखा गया । कार्यवाही प्रचलित है ।
4	बेनाजी शिकायत	16.10.2023	शासन की झूटी चोरी कर राजस्व को हानि पहुंचाने बाबत ।	कार्यवाही प्रचलित है ।

25/7-25

उत्तराखण्ड सरकार
मुख्य मंत्री कार्यालय
शासनाधीन प्रशासन
दिल्ली

प्रतिपक्ष

NR 1002-31

गुणवत्ता

100

सर्वे भद्राणि कुर्यात् ।

संविधान का परिचय

सत्यमेव जयते

7

5	कृष्णागोपाल वशंत पुत्र श्री रामशरनलाल वसंत निवासी पुराने रेल्वे स्टेशन के पास सब्जी मण्डी भिण्ड	28.11.2022	अर्बेय तारीख से सम्पत्ति क्रय किये जाने के संबंध में।	शिकायत की जाच पूर्ण	महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्राक भापाल को प्रतिवेदन पत्र क्र० 61 दिनांक 23.01.2025 से भेजा जा चुका है।
6	शिवेन्द्र सिंह चौहान निवासी सदर बाजार भिण्ड	25.01.2022	मैन सड़क पर स्थित मकान को दो भागों में विक्रय कर स्टाम्प ड्यूटी की चोरी कर शासन को राजस्व की हानि पहुंचाने के संबंध में।	जच कर्ता अधिकारी श्री ओ.पी. अम्ब, तत्कालीन जिला पंजीयक भिण्ड ने लेख किया कि शिकायतकर्ता, साक्ष्य में प्रस्तुत एग्रीमेंट उचित स्ताम्पित करा कर प्रस्तुत करे तत्पश्चात शिकायत पर कार्यवाही की जावेगी।	
7	सोनू सिंह राजावत	22.11.2021	दस्तावे क्र० MP042902021 A1946431 दिनांक 10.11.2021 की स्टाम्प ड्यूटी की जाच कराने बाबत	उप पंजीयक भिण्ड से स्पष्टीकरण हेतु पत्र जारी	

प्रमुख अधिकारी
प्रमुख प्रवेश निरीक्षणकर्ता
पंजीयन एवं निरीक्षण
शिकायत निरीक्षण एवं निरीक्षण
जिला

वरिष्ठ निरीक्षण पंजीयक
जिला भिण्ड (म.प्र.)